(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 282–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–16 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, बुरहानपुर प्रकरण कमांक 4/अ–70/15–16.

गजमल पिता बाबुराव पाटील
निवासी ग्राम खामनी
तहसील एवं जिला बुरहानुपर .....आवेदक

विरूद्ध

अविनाश पिता वामनराव शेंडे
निवासी मकान नम्बर एम आई जी 102
किशोर नगर खण्डवा जिला खण्डवा .....अनावेदक

श्री हेमन्त जोशी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी भूमि का सीमांकन दिनांक 16–6–16 को किया गया है, जिसमें उसकी भूमि के कुछ हिस्से पर आवेदक का कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–70/15–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–16 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वे नम्बर 306 एवं 285 का सीमांकन किये जाने का आदेश दिया गया है, जबकि अनावेदक द्वारा उपरोक्त भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वे नम्बर 285 एवं 286 का सीमांकन किया गया है और सर्वे नम्बर 306 का सीमांकन नहीं किया गया है ।

(3) अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से मिलकर मनमाने तौर से असत्य आधारों पर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया गया है, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करने में अवैधानिकता की गई है ।

(4) अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन को चुनौती नहीं दी जा सकती है । यह भी कहा गया कि यदि आवेदक सीमांकन से व्यथित था, तब उसे निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए था । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक, अनावेदक की भूमि का कब्जा नहीं छोड़ना चाहता, इसी उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन हुआ है और उक्त सीमांकन को आवेदक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, जबकि यदि आवेदक सीमांकन से असंतुष्ट थे, तब उन्हें पृथक से सीमांकन कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना चाहिए था । तहसील न्यायालय द्वारा भी इसी आशय के निष्कर्ष निकाले जाकर, आवेदन पत्र में उल्लिखित शेष बिन्दुओं पर साक्ष्य के उपरान्त ही विचार किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7

नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर